अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई हाऊसिंग बोर्ड कुरूद में नाली के उपर किये अवैध बाउंड्री वॉल तथा शांति नगर सड़क 2 में न्यायालय के आदेश पर जर्जर भवन को ढहाया गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर निगम के जोन 2 वैशालीनगर नगर के राजस्व अमले ने कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज शिकायत के आधार पर मकान नं सी एच 878 एवं 879 के मालिक रवि टेककर तथा मकान नं सी एच 876 एवं 877 के मालिक द्वारा अपने आबंटित भूखण्ड के अतिरिक्त नाली पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था जो जांच उपरान्त जामुल पुलिस बल की उपस्थिति में जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। वहीं शांतिनगर सड़क 2 में राजपाल सिंह तथा सुमन वानखेड़े के बीच भुखण्ड में किये गये भवन निर्माण को लेकर मान. न्यायालय के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा के उप अभियंता पुरूषोत्तम सिन्हा, चंदन निर्मलकर, जोन 2 सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, तोड़फोड़ के नोडल अधिकारी विनय शर्मा, सहायक नोडल हरिओम गुप्ता, वार्ड प्रभारी हरि ताम्रकार, प्रतीक तिवारी, मदनमोहन तिवारी, कार्तिक राम, समीर अहमद, मंगल जांगड़े, खेमू सहित जामुल पुलिस बल उपस्थित रहा ।